

	<p>केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004 Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcommr@gov.in</p>	 <p>IS 15709 : 2005 Certified Commissionerate</p>
---	---	--

C.No.II/3/38/2016-Estt.

Date: 01-03-2019

ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO.37/2019

विषय: स्था - सीमाशुल्क, केन्द्रीय कर के हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र के वाहन चालक (विशेष ग्रेड) के संवर्ग में पदोन्नति -संबंधीत

Sub: Estt. – Promotion to the cadre of Motor Driver (Special Grade) of Customs & Central Tax in Hyderabad & Visakhapatnam Zones – Regarding.

* * * * *

संक्षम अधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित वाहन चालक (ग्रेड-1) को सीमाशुल्क, केन्द्रीय कर के वाहन चालक (विशेष ग्रेड) के संवर्ग में, वेतनमन रु. 35400-112400 में सतवे वेतन आयोग के वेतन मात्रिका के लेवेल-6 [पूर्व-परिवर्तित रु 9300-34800/- + ग्रेड रु. 4200/-] तथा अन्य ग्राह्य भत्तो सहित एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश होने तक पदोन्नत किया जाता हैं।

With the approval of competent authority, following Motor Driver (Grade-1) is promoted to the cadre of Motor Driver (Special Grade) on regular basis, in the pay scale of Rs.35400-112400 in the Level-6 of Pay matrix of 7th CPC [pre-revised scale in pay band PB-2 of Rs.9300-34800/- + Grade Pay of Rs.4200/-] and such other allowances as admissible:


क्र.स Sl.No	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्री Name of the Officer S/Shri	आयुक्तालय जहा वें कार्यरत हैं Commissionerate in which working
1	शैक माबू सुभनी Shaik Mabu Subhani	गुंटूर Guntur

2. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन F.R.22(I) a(1) के अनुसार, निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त होने पर, उनके कार्यग्रहण की तारीख से निर्धारित किया जाए।

The pay of the above mentioned officer may be fixed as per F.R.22(I) a(1) from the date of the joining after obtaining the option within the prescribed period.

3. पदोन्नति के परिणाम स्वरूप, उपरोक्त अधिकारी को विसखपट्टनम क्षेत्र को आबंटित किया जाता हैं।
Consequent on promotion, the above officer is allotted to Visakhapatnam Zone.


4. इस आदेश के जारी होने से लेकर 30 दिनों के भीतर में पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करना होगा।
The officer promoted should report to duty within 30 days from the date of issue of this order.


(पी.ससिधार P.SASIDHAR) 1/3/2019
सहायक आयुक्त (क व सत)
Assistant Commissioner (P&V)

प्रति To
संबन्धित व्यक्ति को The Individual
(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि अग्रेषित Copy submitted to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र।
The Principal Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, विसखपट्टनम क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone.
3. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र।
All the Principal Commissioner/Commissioner of Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam Zone.
4. सभी CAO/PAO, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र।
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
5. महा सचिव, वर्ग "ग" सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर वाहन चालक संगठन, हैदराबाद।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Motor Drivers' Association, Hyderabad zone.
6. महा सचिव, अ जा/ अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad zone.
7. स्टॉक फाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.


(पी.ससिधार P.SASIDHAR) 12/2/2019
सहायक आयुक्त (क व सत)
Assistant Commissioner (P&V)